

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

भूमि की पर्याप्तता का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य एन.एच.-12 किमी. 358/500 से नयागाँव भानपुरा

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि सड़क परियोजना के लिए पर्याप्त है, भविष्य में कोई अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।



अधिशाषी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

न्यूनतम भूमि की अण्डरटेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य एन.एच.-12 किमी. 358/500 से नयागाँव भानपुरा

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की न्यूनतम भूमि (0.20 हैक्टेयर) चाही गयी है।



अधिशाषी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

वर्तमान प्रचलित दर (एन.पी.वी.) की अण्डर टेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य एन.एच.-12 किमी. 358/500 से नयागाँव भानपुरा

इस परियोजना हेतु 0.20 हैक्टेयर वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो एन.पी.वी. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावेगी, नियमानुसार देय होगी। एवं सा.नि.वि. उक्त राशि जमा करा देगा।



अधिशाषी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

वचन बद्धता का प्रमाण—पत्र

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य एन.एच.—12 किमी. 358/500 से नयागाँव भानपुरा

प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सा.नि.वि. देने को तैयार होंगे।



अधिशाषी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

अण्डर टेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य एन.एच.-12 किमी. 358/500 से नयागाँव भानपुरा

यह प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम श्रमिक दर बढ़ने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि में बढ़ोतरी होती है तो उसका भुगतान सा.नि.वि. द्वारा कर दिया जाएगा।



अधिशाषी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

प्रमाण – पत्र

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य एन.एच.-12 किमी. 358/500 से नयागाँव भानपुरा

प्रमाणित किया जाता है कि जिस वन भूमि को सड़क निर्माण के काम में लिया जावेगा इसे अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में नयी स्वीकृत सड़क बनाई जावेगी।



अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अण्डरटेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य एन.एच.-12 किमी. 358/500 से नयागाँव भानपुरा

सड़क निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली जावेगी वो वन क्षेत्र से नहीं ली जावेगी चाहे वो बोरो पिट हो।

वन विभाग को समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध करा दी जावेगी।



अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

मार्ग के वन भूमि से गुजरने का प्रमाण – पत्र

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य एन.एच.-12 किमी. 358/500 से नयागाँव भानपुरा

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त सड़क का निर्माण कराया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में नयी स्वीकृत सड़क बनाई जावेगी।



अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा